


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक. D/473 /
चार-12-14/80 भाग-दो-जी

जबलपुर, दिनांक 03/05/2021

श्री अविनाश चंद्र, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(सी) 13/94/21-ब (एक) दिनांक 06.10.1995, दिनांक 17.05.2005, 22-06-2011, आदेश क्रमांक 3632/21-ब (एक) भोपाल, दिनांक 29-12-2014 एवं आदेश क्रमांक 17 (ई)38/2014/ 21-ब (एक) 976 भोपाल, दिनांक 08-04-2015 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 27.01.2021 से वाहन भत्ता रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया जाता है।



(राजेंद्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
Bar

पृष्ठांकन क्रमांक D/474 /
चार-12-14/80 भाग-दो-जी

जबलपुर, दिनांक 03/05/2021

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस./ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अविनाश चंद्र, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू.एस. दुबे)
ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस.
Bar